GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 85
TO BE ANSWERED ON 20.07.2026

IMPLEMENTATION OF HIGHER PENSION BENEFITS UNDER EPS-1995

85. SHRI PARSHOTTAMBHAI RUPALA:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of the measures taken by Government to facilitate the implementation of higher pension benefits for eligible employees of exempted establishments under the Employees' Pension Scheme, 1995 in accordance with the judgment of the Supreme Court of India in the Sunil Kumar (2022) case;
(b) whether the Employees' Provident Fund Organisation has been issued a circular dated 18.01.2025 to facilitate uniform implementation of higher pension benefits in exempted establishments and if so, the features thereof;
(c) whether the Government has received any representations from the National Confederation of Pensioners' Associations regarding the implementation of the said circular; and
(d) if so, the action taken thereon?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)

(a) to (d): EPFO has taken action to implement the directions contained in the Hon'ble Supreme Court Judgment dated 04.11.2022 in a time-bound manner. An online facility was provided for submission of applications by eligible pensioners/members for validation of Joint Options.

Yes. Vide circular dated 18.01.2025, inter-alia, clarification has been issued to facilitate uniform implementation. It was clarified that for the exempted establishments the eligibility for higher pension benefits will be determined on the basis of the extant trust rules of the exempted establishment prevailing before the decision dated 04.11.20222. Further, in case the Trust rules are amended post decision dated 04.11.2022 in Sunil Kumar Case, applications of members of such Trusts may not be considered.

*****

www.govtstaff.com

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 85

सोमवार, 20 जुलाई, 2026/ 29 आषाढ़, 1948 (शक)

ईपीएस - 1995 के तहत उच्च पेंशन लाभों का कार्यान्वयन

†85. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के सुनील कुमार (2022) मामले में दिए गए निर्णय के अनुसरण में, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के पात्र कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन लाभों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में उच्च पेंशन लाभों के एकसमान कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 18.01.2025 का परिपत्र जारी किया गया है और यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त परिपत्र के कार्यान्वयन के संबंध में 'नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन्स' से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय में निहित निदेशों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कार्रवाई की है। पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों द्वारा संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने हेतु एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई थी।

जी हाँ। दिनांक 18.01.2025 के परिपत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, समान रूप से कार्यान्वयन सुगम बनाने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया गया है। यह स्पष्ट किया गया था कि छूट प्राप्त स्थापनों के लिए उच्च पेंशन लाभों की पात्रता छूट प्राप्त स्थापन के उन मौजूदा न्यास नियमों के आधार पर निर्धारित की जाएगी जो दिनांक 04.11.2022 के निर्णय से पहले लागू थे। इसके अलावा, यदि सुनील कुमार मामले में दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पश्चात न्यास नियमों में संशोधन किया जाता है, तो ऐसे न्यासों के सदस्यों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

*****

www.govtstaff.com